ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(10): 257-262
www.allresearchjournal.com
Received: 25-06-2020
Accepted: 03-08-2020

अर्चना कुन्तल
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
अर्चना कुन्तल
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली, भारत

भारतीय परम्परा में नारी सशक्तिकरण वैदिक एवं आधुनिक सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में

अर्चना कुन्तल

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2020.v6.i10d.7293

परिचय:-

प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी अपनी सृजनशीलता और कलात्मक प्रवृत्तियों से नर की सृष्टि को पूर्णता प्रदान करती आ रही है।

नारी शब्द नृ धातु अथवा नर शब्द से बना है-नृ+अच् +ङीन = नारी। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है-नृधर्म्यान् नारी, नरस्यापि नारी (महा.४.४.९)।

इसी नारी शब्द के लिये 'स्त्री' शब्द जितना अधिक व्यापक है उतना ही अधिक प्रचिलित भी है। वैदिक काल में प्रसिद्धि पा चुका यह स्त्री शब्द आज भी भारत की लगभग सभी भाषाओं में अपना स्वरूप किसी न किसी रूप में बनाये हुए है। स्त्री शब्द स्त्यै शब्दसंघातयोः धातु पूर्वक इट् एवं ङीप् प्रत्यय से सिद्ध होता है (स्त्यै√+ इट्+ ङीप्=स्त्री)। आचार्य पाणिनि के मत में स्त्यै शब्दसंघातयोः इस धातु के अनुसार स्त्री शब्द का अर्थ शब्द करना एवं इकट्ठा करना स्पष्ट होता है जबकि,

आचार्य यास्क के मत में स्त्रियः स्त्यायन्ते अपत्रपणकर्मणः (निरुक्त 3/21/2) अर्थात् स्त्री का स्त्रीत्व उसके लज्जाशील होने में ही है ऐसा अर्थ किया है, एवं आचार्य दुर्ग ने भी निरुक्त की टीका में लिखा है-लज्जार्थस्य लज्जन्ते अपि ताः अर्थात् वे लजाती हैं इसलिये स्त्री हैं ।

भाष्यकार के मत में 'गुणानां स्त्यानं स्त्री' अर्थात् शब्द, स्पर्श, रुप, रस एवं गन्ध इन सबकी खान है स्त्री। स्त्री, अबला, रमणी, प्रमदा, तरुणी, वामा, सुन्दरी, ललना, दारा, माता, दुहिता, कन्या, बाला, सुता, वधू, शक्ति, देवी एवं जननी इत्यादि शब्द नारी शब्द के ही वाची हैं, जो उसके वैशिष्ट्य को सर्वदा द्योतित करते हैं।

ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय का ईश्वर प्रदत्त प्रथम एवं श्रेष्ठ रत्न है, अतः वैदिक वाङ्मय में नारी की स्थिति को सम्यक् एवं यथा रूप में जानने के लिये प्रथमतया इसी पवित्र ग्रन्थ का अध्ययन अत्यावश्यक है।

उसी के अनुशीलन के साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन नारी की स्थिति का परिचय सही रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों में वर्णित समाज में स्त्री–पुरुष में किसी भी प्रकार के विभेद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अनेक वैदिक मन्त्रों से वेदों में भावनात्मक दृष्टि से भी नारी का समान रूप से आदर का भाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक मनीषियों ने नारी शिक्षा के समान रूप से महत्व के साथ–साथ नारी के लिये सभी अन्य क्षेत्रों में भी समानता के अधिकार की बात कही है। नारी के शिक्षा, धर्म, विवाह, राजनीति एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता की चर्चा वेदों में की गयी है, जिसके कतिपय उदाहरण निम्न हैं, जैसे-

1.अध्ययन– अध्यापन में समान अधिकार-

देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः।
भीमा जाया ब्राह्मस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्।। (ऋग्वेद. 10/109/4।)

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् (अथर्ववेद-11/5/18)

अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी (ऋग्वेद-10/159//2) अर्थात् ब्रह्मचर्य सूक्त एवं ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करके ही विवाह करे और ज्ञानवती एवं शत्रुनाशिका हो। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती, आत्रेयी, एवम् अनुसूया सदृश नारियों का अस्तित्व इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इस काल में नारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

2. विवाह की स्वतन्त्रता-

युवतयो युवानं परिसन्त्यापः(ऋ-2/35/4)जैसे नदियां स्वयं समुद्र को प्राप्त होती हैं,उसी प्रकार कन्याऐं भी युवक का वरण करती हैं।

3. श्रवण एवं वाचन का अधिकार-

गुहा चरन्ती मनुषो न योषा समावती विद्यथेव संवाक् (ऋ.1/167/3)

आ विदथमावदासि (अथर्ववेद. 14/1/21) अर्थात् स्त्री स्वयं रथ का चयन,उस पर आरोहण कर संस्थाओं में श्रोत्री एवं वक्त्री के रूप में स्वतंत्रतया अधिकारिणी है।

4. राजनीति में समान अधिकार-

राजा के समान नारीयों की भी राजकार्य में सहभागिता की बात वेदों में प्राप्त होती है- यजुर्वेद-13/18 .....

न्याय व्यवस्था में भी वह समानरूप से भाग ले सकती है- (यजुर्वेद.13/7)।

वहीं सोलहवे अध्याय के चवालीसवे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि- शूरवीर स्त्रियों की भी सेना होनी चाहिये और उन्हें भी युद्ध करना चाहिये (यजुर्वेद.16/44)।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'स्त्रिया हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेनाः' अर्थात् स्त्रियों की सेना का उल्लेख प्राप्त होता है।(ऋ.5/10/9)

प्राचीन काल से ही नारी मातृशक्ति की प्रतीकभूत रही है वैदिक काल के अनन्तर शास्त्रों में भी नारीशक्ति का महान गौरव दृष्टिगोचर होता है। 'मातृदेवो भव', 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' (मनुस्मृति.3.56.8) इत्यादि सूक्तियों का समुद्घोष रहा है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों पर हम एक दृष्टि डालें तो वहाँ यही प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रकार के चिंतन का केंद्र बिन्दु नारी ही रही है, जैसे –

- आचार अध्याय में ब्रह्मचारी प्रकरण में स्त्री संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है।
- विवाह प्रकरण में कन्या लक्षण, कन्यादान, ब्राह्मविवाह, कन्याहरण दण्ड, व्यभिचार, पतिव्रता स्त्री, स्त्री कर्तव्य, स्त्री धर्म इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृततया समीक्षा की गयी है।
- व्यवहार अध्याय में नारी से सम्बन्धित स्त्री संग्रहण आदि अनेक पक्षों का विश्लेषण किया गया है।

नारी ने अपने सद्व्यवहार, त्याग, आचरण और निर्माण शक्ति से परिवार एवं समाज को प्रभावित कर सदा सन्मार्ग दिखलाया है। नारी सदैव मनुष्य के लिये पथ–प्रदर्शिका रही है। अतः समाज में सर्वदा नारी का एक सम्मानित स्थान रहा है।

हमारी इतनी विस्तृत एवं विश्व प्रसिद्ध संस्कृति होने के उपरान्त भी आज जब नारी उत्थान की बात चलती है तो अनायास ही मस्तिष्क में यह प्रश्न उभरता है कि सृष्टि के प्रारम्भिक काल में जब नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, तो क्या कभी नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय भी रही होगी। वास्तविकता यह है कि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों में भी अन्तर आता है। एक समाज में किसी व्यक्ति विशेष को उच्च स्थान प्राप्त होता है, वहीं दूसरे परिवेश में वही व्यक्ति निम्न स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, यही स्थिति नारी की भी हुई है।

महिला सशक्तिकरण क्या है ?

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती है,जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार एवं स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों ?

महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिये पड़ी क्यूँकि एक लम्बे समय से भारत में लैंगिक असमानता और समाज में पुरुष की प्रधानता रहती आयी है । महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा दबाया जाना, उनके प्रति की गयी विविध प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव जैसे– सती प्रथा, नगर वधू व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बालमजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि कुपरम्परायें हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। भेदभावपूर्ण दस्तूरों के साथ इस तरह की कुप्रथा का कारण पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक,सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है, जो देश को पीछे की ओर धकेलता है।

सशक्तिकरण के उपाय

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उपरोक्त सभी राक्षसी विचारधाराओं को मारना अत्यावश्यक है।

महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरुरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा,असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का प्रचलन है। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित लगातार सभी के सहयोग की जरुरत है।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम है –

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956।
2. दहेज रोक अधिनियम, 1961।
3. एक समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976
4. मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1987।
5. लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल के रोकथाम) एक्ट, 1994।
6. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार,1994।
7. बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006।
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013।
9. मातृत्व सम्बन्धी लाभ हेतु अधिकार, 2016।
10. संपत्ति का अधिकार
11. पति की सम्पत्ति से जुडे अधिकार,
12. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार,

13. यौन उत्पीडन मामलों में नाम न छापने का अधिकार
14. रात के समय गिरफ्तार न करने का अधिकार
15. मुफ्त कानूनी मदद के लिये अधिकार
16. गरिमा और शालीनता के लिये अधिकार
17. पति–पत्नी सम्बन्धी अधिकार

महिलाओं की समस्याओं के उचित समाधान हेतु महिला आरक्षण बिल-108वाँ संविधान संशोधन का लोक सभा से पास होना बहुत जरुरी है, ये संसद में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रुप से भागीदार बनाने के लिये कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण स्तर पर नारी सशक्तिकरण

हम खुद को मॉर्डन कहते हैं,लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है, लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है।नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती, लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है। यहां महिलाओं को उपर्युक्त कानून बनाकर काफी शक्तियां दी गई हैं,लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

आज भी भारत में ऐसे अधिकांश गांव हैं,जहां की महिलाओं का जीवन घर की चार दीवारी में ही सीमित है,इतना ही नहीं हमारे देश में काम (नौकरी) करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम है। हमारे देश की ज्यादातर पढ़ी-लिखी महिलाएं भी इस वक्त अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हैं, उन्हें न चाहते हुए भी ऐसा जीवन जीना पड़ता है,जिसके वो विरूद्ध हैं।

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा, और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। वास्तव में महिलाओं को सशक्त करने के लिये संविधान प्रदत्त अधिकारों से अवगत होना चाहिये।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं,इन्हीं में से कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है–

1. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, (8 मार्च 1914)
2. सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप), 1986–87।
3. स्वधार गृह योजना, (2001–02)
4. महिला हेल्पलाइन योजना, (15 नवम्बर 2012 उ.प्र.)।
5. निर्भया योजना, (2013)
6. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, (22जनवरी 2015)।
7. वन स्टाप सेंटर, (1 अप्रैल 2015)
8. महिला ई–हाट, (7 मार्च 2016)
9. उज्जवला योजना, (1 मई 2016)।
10. नन्दा गौरा योजना (15 जून 2017,उत्तराखण्ड)
11. महिला शक्ति केंद्र योजना, (2017–18)।
12. सुकन्या समृद्धि योजना (1 जनवरी 2019)
13. दीन दयाल स्पर्श योजना(छात्रवृत्ति), (2019)
14. कार्य महिला छात्रावास योजना,
15. पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
16. अस्मिता योजना (Sanitary napkins)

निष्कर्ष

आज देश में महिलाओं के हक में तमाम कानून दिखाई पडते हैं, लेकिन इन कानून के बावजूद महिलाओं की स्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। वे

कौन सी समस्यायें हैं, जो महिलाओं को उनका समुचित हक और इन्साफ दिलाने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं? क्या या फिर हमारे देश के कानून की संरचना में ही कुछ कमियां है, जो महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सम्पूर्ण समाज को जागृत करना होगा, तभी नारी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हो पायेगी। इसके लिये जरूरत है चेतना की, जागरुकता की, आत्मविश्वास की। और इस सब का निदान है– नारी शिक्षा।

आज नारी को खुद ही साबित करना होगा कि भगवान् ने उसे कोमल जरूर बनाया है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। उसमें पन्नाधाय का त्याग है, रानी लक्ष्मीबाई का पौरुष है, इन्दिरा गांधी जैसी नेतृत्त्व क्षमता है, मदर टेरेसा की ममता है, अवनि चतुर्वेदी की बहादुरता है, और कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष विजय का सपना है। आज जरूरत है इन उदाहरणों और विचारों को गली– मुहल्लों और गाँवों कि चौपालों तक पहुँचाने की। सिर्फ सम्मेलनों, भाषणों और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। बंद कमरों में होने वाली बहसों की गूँज उन दीवारों में ही दम तोड देती है। किताबों और किस्सों– कहानियों में हमने नारी को नायिका बना दिया है, किन्तु यथार्थ के धरातल पर इसे साकार करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। महिला सशक्त तभी बनेगी जब वह साक्षर, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनेगी।

जिस तरह से भारत सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है,उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की महती आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा देश में लैंगिग समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविकता में भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के लिये महिलाओं के खिलाफ कुप्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा। जरुरत है कि, हम महिलाओं के खिलाफ रूढिवादी सोच को बदलें और संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लायें। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये संभव है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के महिला-पुरुष समानता वाले देश को पुरुषवादी प्रभाव वाले देश से बदला जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की मदद से, बिना अधिक प्रयास किये परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता है।

नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा Women Development का नहीं रह गया, बल्कि Women-Led Development का है। यह जरूरी है कि हम स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। जब कई कार्य एक समय पर करने की बात आती है तो महिलाओं को कोई नहीं पछाड़ सकता। यह उनकी शक्ति है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए एवं उनको समझना चाहिये। प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण और मूल्य होते हैं। यदि वे मानसिक समाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में महती भूमिका अदा करने का अदम्य साहस रखती हैं।

"महात्मा गांधी ने कहा था,जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं"। जबकि मेरा मानना यह है कि जब हम नारी को शिक्षित करते हैं, तो न केवल दो परिवार बल्कि दो पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिये एक पंख से उडना संभव नहीं है।

आइये हम कन्यायों के जन्म पर खुशियां मनाएं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि बेटी के जन्म पर पांच पौधे लगाकर खुशियां मनाएं। हमें समाज में ही नहीं,बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं उनको खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता देनी होगी - सही मायने में हम तभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं।

महिला शक्ति है,सशक्त है,वो भारत की नारी है।
न ज्यादा में,न कम में,वो सब में बराबर की अधिकारी है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (सम्पा.), 2010, अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत ।
2. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (सम्पा.), सं. 2050, धातुपाठः, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत ।
3. देवव्रत (सम्पा.), 1962, व्याकरणमहाभाष्यम् (भाग-15), हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्झर, रोहतक।
4. मिश्र, मण्डन, 2009, कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयसंहिता, श्री लाल बहादुरराष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठ, दिल्ली।
5. योगी सत्यभूषण (संपा), 1966, मनुस्मृति, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।
6. शर्मा, मुकुन्द, 2008, निरुक्त, (विवृत्ति व्याख्या),चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान,दिल्ली।
7. शर्मा, डा. गंगा सहाय (सम्पा.), 2015, अथर्ववेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. शर्मा, डा. गंगा सहाय (सम्पा.), 2016, ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानन्द (सम्पा.), 2004, यजुर्वेद, विजय कुमार हासानन्द,दिल्ली